न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/306

श्रीमती कान्ती आयु 58 वर्ष पत्नी स्वर्गीय श्री करणा जाति बारेठ निवासी ग्राम छावनी तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मधु बेवा स्वर्गीय श्री चौथमल हाल पत्नी श्री दशरथ जाति बारेठ निवासी छावनी तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. सोना पुत्री स्वर्गीय श्री चौथमल जरिये संरक्षक माता श्रीमती मधु बेवा स्वर्गीय श्री चौथमल हाल पत्नी श्री दशरथ जाति बारेठ निवासी छावनी तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. दशरथ आत्मज श्री बंशीलाल जाति बारेठ निवासी ग्राम जखाना हाल निवासी छावनी तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. बाबूलाल आत्मज श्री हजारी लाल मीणा निवासी छावनी तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. बृजमोहन आत्मज श्री हजारी लाल मीणा निवासी छावनी तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश चन्द नामधराणी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम छावनी तहसील एवं जिला बून्दी में नया खाता संख्या 37 पुरान 36 में कुल 07 किता की 24 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित

है । इसी तरह खाता संख्या नया 38 पुराना 37 में कुल 04 किता की कुल रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादिनी रिकॉर्डेड खातेदार कृषक है । वादिनी के पुत्र चौथमल को देहान्त हो गया । प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत रूप से अपना नाम चौथमल के वारिसान के रूप में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम लिखवा दिया । उक्त भूमि पर वादिनी काबिज काश्त चली आ रही है । वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादिनी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 डिक्री किया जाकर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 वादिनी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य करावे। दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण वादिनी की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर लेवे तो ऐसी स्थिति में पुनः कब्जा वादिनी को दिलाया जावे तथा ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि भी वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलायी जावे । उक्त भूमियों को खातेदारान के मध्य कब्जानुसार नियमानुसार विभाजन किया जावे । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम विलोपित किया जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश कर वादिनी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वाद खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2017 के द्वारा पक्षकारों के मध्य नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 में अंकित उनके हिस्सेअनुसार एवं जो जहॉ काबिज है उसी अनुसार उनके मध्य भूमि विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी ने अपने कथनों को प्रमाणित कर दिया था तथा प्रस्तुत वाद में वादिनी की साक्ष्य होने एवं उसके खण्डन में प्रतिवादीगण की कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी का वाद खारिज कर दिया । वादग्रस्त आराजी में वादिनी का 1/4 हिस्सा दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित किये बिना ही सीधे अंतिम डिक्री पारित कर दी जो विधि–विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि जमाबन्दी संवत् 2060–63 में नया खाता संख्या 37 पुराना 36 में कुल

07 किता की 24 बीघा 01 बिस्वा आराजी वाके ग्राम छावनी तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है जिसमें वादिनी व वादिनी के पुत्र चौथमल का 1/2 हिस्सा दर्ज एवं 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट कम 04 बाबूलाल व रेस्पोडेन्ट कम 05 बृजमोहन का दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 में नया खाता संख्या 38 पुराना 37 में कुल 04 किता की रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा भूमि वाके ग्राम छावनी तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है जिसमें वादिनी व उसके पुत्र चौथमल का 1/2 हिस्सा व रामदेव, कल्याण पिसरान गणपत का 1/2 हिस्सा दर्ज है । वादिनी के पुत्र चौथमल की मृत्यु हो चुकी है, चौथमल की पत्नी ने प्रतिवादी कम 03 दशरथ से विवाह कर लिया । चौथमल के हिस्से की आराजी पर भी वादिनी खेती करती है । पुनर्विवाह करने के कारण प्रतिवादी कम 01 ने चौथमल की सम्पत्ति में अपना हक खो दिया है। वादिनी के द्वारा हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया गया था । प्रतिवादी के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई थी फिर भी वाद वादिनी खारिज किया गया है । यदि चौथमल का हिस्सा वादिनी को नहीं दिया तो भी वादिनी अपने हिस्से का विभाजन कराने की अधिकारिनी है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित किये दावे में अंतिम डिक्री पारित की है जबकि प्रारम्भिक डिक्री जारी की जानी चाहिए बिना प्रारम्भिक डिक्री के जारी की गई अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 37 की कुल 07 किता की 24.01 हैक्टर आराजी में चौथमल और वादिनी हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 4 व 5 हिस्सा 1/2 दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 में नया खाता संख्या 38 पुराना 37 में कुल 04 किता की 7.02 हैक्टर आराजी वादिनी और चौथमल हिस्सा 1/2 दर्ज है व इनमें 1/2 हिस्सा रामदेव, कल्याण का दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 325 और 326 का नोट अंकित है ।

10. पत्रावली पर बयान वादिनी पीडब्ल्यू–1, गीताबाई पीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय से विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की है जबकि विभाजन के दावे में पहले प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है और राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की जाती है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

11. जहॉ तक वादिनी का यह कथन कि प्रतिवादी संख्या 01 और 02 का हिस्सा समाप्त कर उसे वादिनी के हिस्से में दर्ज किया जावे यह विधि मान्य नहीं है क्योंकि यदि चौथमल की विधवा ने पुनर्विवाह किया है तब भी चौथमल की पत्नी एवं पुत्री के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादिनी के द्वारा नया खाता संख्या 38 में सहखातेदार रामदेव एवं कल्याण पिसरान गणपत को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि सहखातेदार होने के नाते विभाजन के दावे में वो आवश्यक पक्षकार हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है खाता संख्या 38 में सहखातेदार रामदेव, कल्याण पिसरान गणपत को पक्षकार बनाकर उनको जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री पारित करें और प्राथमिक डिक्री के आधार पर राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा